उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–1252/दस–2010–231/2010
लखनऊ : दिनाँक : 13 अप्रैल, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशियों को विभागाध्यक्षों / नियंत्रक अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनाँक 26 मार्च, 2010 द्वारा जारी किये गये हैं । अधोहस्ताक्षरी को उक्त दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में निम्नवत् किन्चित संशोधन करने अथवा स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है –

(1) उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर 2(1) में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम संस्करण) के 'इक्कीसवें अध्याय के अनुलग्नक–ए' के स्थान पर 'उन्नीसवें अध्याय के अनुलग्नक–ए' पढ़ा जाय ।

(2) कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर 2(1)(ख) में उल्लेख किया गया है कि निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.एफ.ए.डी.), व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) अथवा वित्त विभाग को सन्दर्भित करने से पूर्व वित्त विभाग में सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था का निर्धारण कर लिया जाय तथा चयनित संस्था से आगणन तैयार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि 'सक्षम स्तर' का आशय विभाग के प्रभारी मंत्री से है । कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत संस्था अनुमानित निर्माण लागत का कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत है । कार्यदायी संस्था के चयन के उपरान्त, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, नई संस्था चयनित न की जाय, ताकि परियोजना की लागत में कॉस्ट–ओवर–रन्स की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर 13 में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत नये निर्माण कार्यों की परियोजना लागत में अधिष्ठान व्यय को भी सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गयी है । इस प्रस्तर को निम्नवत् संशोधित समझा जाय :

"लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग द्वारा सी.सी.एल.प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–2011 में सम्पादित किये जाने वाले नये निर्माण कार्यों (अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत प्रावधानों के समक्ष सम्पादित किये जाने वाले कार्यों सहित) के लिए निर्माण लागत का 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय का अंश जोड़कर आगणनों का गठन किया जाय । इस प्रकार यदि निर्माण लागत रुपये 100 है, तो इस कार्य की कुल निर्माण लागत रुपये 106.875 (कार्यांश रुपये 100 तथा अधिष्ठान व्यय का अंश रुपये 6.875) होगी और वित्तीय स्वीकृति इसी धनराशि की दी जायेगी और सम्पूर्ण राशि पूंजीगत पक्ष में परियोजना पर व्यय के रूप में दिखायी जायेगी, लेकिन अधिष्ठान व्यय का अंश (रुपये 6.875) सड़क और सेतु सम्बन्धी परियोजना के लिए लेखाशीर्ष '1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियाँ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियाँ' और भवन निर्माण सम्बन्धी परियोजना के लिए लेखाशीर्ष '0059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–103–प्रतिशता प्रभारों की वसूली–02–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियाँ' में जमा किया जायेगा । इसी प्रकार सिंचाई विभाग के अधिष्ठान व्यय के अंश को लेखा शीर्ष '0701–मध्यम सिचाई–80–सामान्य–800– अन्य प्राप्तियाँ–03–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियाँ' में जमा किया जायेगा ।

लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले डिपाजिट कार्यों के लिए भी उक्त व्यवस्था यथावश्यक संशोधन सहित अपनायी जायेगी ।"

वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–बी–1–1060/दस–2010–100(4)/2002ब.मै. दिनाँक 12 अप्रैल, 2010 द्वारा यह पूर्व ही अवगत कराया जा चुका है कि समस्त प्रमुख सचिवों / सचिवों तथा विशेष सचिवों को उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम संस्करण) की प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है । निर्धारित प्रारूप पर मांग पत्र प्राप्त होने पर वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 द्वारा मैनुअल की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जा रही हैं । उक्त मैनुअल के सप्तम संस्करण को वित्त विभाग की वेब साईट **http://budget.up.nic.in** पर अपलोड कराया जा रहा है ।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव, वित्त ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

संख्या : बी–1–1252(1)/दस–2010–231/2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 26 मार्च, 2010 की प्रतिलिपि सहित ।
2 प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय / विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 26 मार्च, 2010 की प्रतिलिपि सहित ।
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4 महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।
10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं
विशेष सचिव।